

सूची

| क.सं. | मद | पृष्ठ सं. |
|-------|---|-----------|
| 1. | मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही । | 2 |
| 2. | वर्तमान एजेण्डा । | 3 |
| 3. | परिचय एवं उद्देश्य | 4-5 |
| 3. | प्रेम समूह के सदस्यों एवं विभागाध्यक्षों से प्राप्त सुझाव । | 6-12 |
| 4. | आय एवं माल लदान का संक्षिप्त विवरण । | 13-14 |
| 5. | पिछलें प्रेम बैठक (15.12.2016) के कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी । | 15-29 |

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

| क्र. सं. | मद | अधिकारी | बजे से | बजे तक |
|----------|--|----------------------|--------|--------|
| 1. | प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत। | उप महाप्रबंधक (सा.) | 11.00 | 11.02 |
| 2. | अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय सम्बोधन। | महाप्रबंधक | 11.02 | 11.07 |
| 3. | पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन। | उप महाप्रबंधक (सा.) | 11.07 | 11.12 |
| 4. | प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :- | | | |
| | ईसीआरकेयू | अध्यक्ष | 11.12 | 11.22 |
| | | महासचिव | | |
| | | अपर महासचिव | | |
| | | सहायक महासचिव | | |
| | ईसीआरपीएफए | अध्यक्ष | 11.22 | 11.32 |
| | | महासचिव | | |
| | एससी एसटी एशो० | जोनल अध्यक्ष | 11.32 | 11.42 |
| | | जोनल सचिव | | |
| | ओ०बी०सी० एशो० | जोनल अध्यक्ष | 11.42 | 11.52 |
| | | जोनल सचिव | | |
| | ईसीआरपीओए | अध्यक्ष | 11.52 | 12.02 |
| | | महासचिव | | |
| | ईसीआरओए | अध्यक्ष | 12.02 | 12.12 |
| | | महासचिव | | |
| 5. | वर्तमान एजेण्डा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा : | सभी विभागाध्यक्ष | 12.12 | 12.38 |
| 6. | वर्तमान एजेण्डा पर खुली चर्चा। | अध्यक्ष के अनुमति से | 12.38 | 12.58 |
| 7. | धन्यवाद ज्ञापन। | | 12.58 | 13.00 |

चर्चा का विषय

1. गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियां ।
2. यार्ड अवपथन (डिरेलमेंट) में कमी लाना ।

INTRODUCTION

- P R E M (Participation of Railway Employee in Management)
- It was setup in the ministry of Railway in the year 1972 and the Zonal Railways in 1977.
- On Indian Railways it is working on three-tier basis.
 1. The Railway Board Level (Corporate Enterprise Group of Labour of Management)
 2. The Zonal Railway Level
 3. The Divisional Railway Level

RAILWAY BOARD LEVEL

- Chairman - Chairman Railway Board
- Convenor - Secretary Railway Board
- Administrative side-Members Railway Board, Advisers & ED's,
- Staff side - Four representatives of NFIR & AIRF each.
- Four representatives of federation of Railway officers.
- Four representatives of federation of promotee officers association

ZONAL LEVEL

- Chairman - GM
- Secretary - Dy. GM (G)
- Administrative side - AGM & All PHODs
- Staff side - Four representatives of ECRKU
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.
- Two representatives of SC&ST Association.
- Two representatives of OBC Association.
- Two representatives of RPF Association

DIVISIONAL LEVEL

- Chairman - DRM
- Secretary - Sr. DPO/ DPO
- Administrative side - ADRM & Branch Executives
- Staff side - Four representatives of ECRKU.
- Two representatives of Railway Officers Association.
- Two representatives of Promotee Officers Association.

PREM Meeting held at Zonal Level-2016

- Meeting : once in three months :
- 1st Meeting : 29 April 2016
- 2nd Meeting : 02 September 2016
- 3rd Meeting : 15 December 2016

PREM Meeting held at Zonal Level-2017

- 1st Meeting : 24 March 2017

OBJECTIVES

- To have better and systematic participation of labour in management with the main objective of improving the efficiency viability of Railway organisation and building the image of Railways as a service organisation
- To proved free flow of exchange of ideas on the running and shaping of Railway organisation
- Apprise the investment programme particularly in regard to housing and welfare activities.
- **Note** : Staff matters could not be discussed unless linked with the overall productivity of the organisation.

Workers Participation in Management

- Whitely Committee in UK during 1917 has recommended that workers should be given opportunity to participate in the discussion for -
- Promoting productivity for the general benefit of the organisation, employee and community.
- Giving employees a better understanding of their role in the organisation in the process of production.
- Satisfying the workers urge of self expression, to achieve industrial peace, better relationship and cooperation.
- In Railways, workers participation is in practice for a long time by associating the representatives of trade unions in different areas like:
 - Staff benefit fund committee
 - Quarters committee
 - Housing committee
 - Running room advisory committee
 - Canteen management committee
 - Hospital visiting committee
 - Labour advisory committee
 - Executive committees of Railway Institute and clubs
 - Workshop productivity councils etc.
- In addition in the area of workers participation in management, corporate enterprise groups of management and labour have been formed at Railway Board, Zonal Railway and Divisions, which is now being called as Participation of Railway Employees in management(PREM)

वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार :

| 1.0 | एजेंडा-(1) गर्मी के मौसम में गाड़ियों के परिचालन हेतु बरती जाने वाली सावधानियाँ। | प्रेम ग्रुप/ विभागाध्यक्ष |
|-----|--|--|
| 1.1 | <ol style="list-style-type: none"> 1) जाड़े के मौसम में जिस-जिस लोकेशन में तीन से ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें डिस्ट्रेसिंग 49 डिग्री से 44 डिग्री पर कर दिया जाना चाहिये ताकि लाईन को बचाया जा सके। 2) जहाँ पर गिट्टी की कमी हो, उस लोकेशन में पर्याप्त गिट्टी भर दिया जाना चाहिए तथा Boxing भी किया जाना चाहिए। 3) लाईन के Deficient Fitting को पूरा कर दिया जाना चाहिए। 4) SEJ (Switch Expansion Joint) का Lubrication को Proper करते रहना चाहिए, तथा उसके GAP पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि SEJ का GAP जाम न हो सके। 5) Temp 55 डिग्री से ज्यादा होने पर Hot Weather Petrolling लगा देना चाहिए। 6) Track Maintenance का काम 39 डिग्री से 45 डिग्री के बीच करना चाहिए। लाइन में काम करते समय एक Sleeper के चाभी को खोला जाना चाहिए। 7) वातानुकूलित कोचों को यार्ड में Pre-cooling करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 8) कोचों के Enroute पानी भरने हेतु पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। 9) गर्मी में आग लगने की संभावना अधिक रहती है, अतः अग्निशामक यंत्र की जाँच समय पर करते हुए निर्धारित संख्या में उपलब्ध रहना चाहिए। 10) यार्ड में कूड़ा खुले में नहीं जलाकर Incinerator का प्रयोग करना चाहिए। | महासचिव ईसीआरकेयू |
| 1.2 | <ol style="list-style-type: none"> 1) रेल का तापमान TD+20°C होने के पश्चात् ट्रैक रखरखाव एवं छेड़छाड़ का काम नहीं किया जाए। 2) आपातकालीन स्थिति में ट्रैक का रखरखाव कम से कम कनीय अभियंता(रेल पथ) की देखरेख तथा speed restriction की तहत की जानी चाहिए। 3) प्रत्येक कि०मी० में, एक पेट्रोलमैन की तैनाती की जानी चाहिए। जिसमें पास गर्मी के मौसम में ट्रैक का रखरखाव एवम् कार्य की पूरी जानकारी एवम् प्रशिक्षण प्राप्त हो। 4) पेट्रोल को साप्ताहिक विश्राम तथा प्रत्येक महीना में रोटेशन wise पेट्रोलमैन को कार्य में लगाया जाय। 5) पेट्रोलमैन के लिए, गर्मी से बचाव के अच्छी किस्म का छाता, तौलिया तथा पानी का बोतल एवम् दवाई दी जाए। 6) पेट्रोलमैन के लिये ठंडा पानी की व्यवस्था हो। 7) पेट्रोलमैन का proper counseling, training and monitoring होना चाहिए। 8) दिन में चलने वाली गाड़ियों में पर्यवेक्षक तथा अधिकारियों का फुट प्लेट अनिवार्य कर देना चाहिए, जिसमें पेट्रोलमैन तथा ट्रैक पर निगरानी रखा जा सके। 9) फुट प्लेटिंग निरीक्षक के लिये, प्रत्येक बड़े स्टेशन पर निरीक्षक विश्रामालय की व्यवस्था अनिवार्य है। | कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी. एशो. |
| 1.3 | <ol style="list-style-type: none"> 1) ट्रैक का Hot Weather पेट्रोलिंग उचित मैनुअल के नियमानुसार करवाना चाहिए ताकि अधिक तापमान पर ट्रैक का उचित संरक्षा हो और ट्रेन परिचालन की संरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। 2) अभियंत्रण विभाग की तरफ से ट्रैक पर ट्रेस पासिंग या कैटल पासिंग पर बैलास्ट की कमी हो जाती है उसको गर्मी के आने से पहले ही पूर्ति करना तथा बराबर नजर रखना और जैसे ही कमी गिट्टी की हो, पूर्ति तुरंत करना चाहिए। 3) की मैन का डियूटी रोस्टर ऐसा रहे कि गर्मी में दोपहर के समय ट्रैक पर रहे। 4) ट्रैक मेन्टीनेन्स तापमान के आधार पर कराया जाय तथा अधिक तापमान पर कोई ट्रैक से छेड़छाड़ नहीं किया जाय। 5) अधिकारियों द्वारा एल०डब्लू०आर०, एस०ई०जे० की नापी तथा मेन्टीनेंस उचित ढंग तथा | अध्यक्ष आरपीएफ एशो. |

| | | |
|-----|---|----------|
| | समय से किया जाय। | |
| 1.4 | <p>1.GR and SR- 15.05 के SR अनुसार असाधारण परिस्थिति/गर्मी के मौसम में पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए।</p> <p>2.दिनांक 12.01.15 को महाप्रबंधक कक्ष में आयोजित संरक्षा समयपालन एवं अन्य मुद्दों से संबंधित बैठक में मद संख्या 13.0 में सीएसओ के द्वारा उठाया गया था जिसके संदर्भ डिप्टी सीओएम/जी द्वारा दिनांक 15.01.15 को सभी सीनियर डीओएम को पत्र जारी किया गया है जिसमें सभी बड़े यार्डों का लगातार निरीक्षण अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा जिसमें इस तरह की घटना को रोकने हेतु उपाय किया जाए। इसी पत्र में मुख्यालय पर्यवेक्षक को निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है।</p> <p>3.आग से बचाव—</p> <p>(1) यार्ड/साइडिंग में अक्सर जंगल झाड़ उग आते हैं तथा कूड़ा-कचरा का ढेर भी रहता है जिसमें गर्मी के दिनों में आग पकड़ने की संभावना रहती है। अतः गर्मी से पूर्व इन सब जगहों की अच्छी से सफाई सुनिश्चित करना चाहिए एवं ज्वलंत पदार्थ को ट्रैक से दूर रखा जाना चाहिए।</p> <p>(2) डीजल शेड व डीजल प्वाइंट पर जहां गाड़ियों में डीजल भरा जाता है, वहां आग न पकड़े इसके लिए विशेष सावधानियां बरती जाएं। जैसे अग्निशमन यंत्र, पानी, बालू व राजस्तरिय फायर स्टेशन का नंबर उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को विधिवत् आग बुझाने एवं आग से बचाव हेतु गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।</p> <p>(3) स्टेशन/स्टेशन परिसर में लोगों को आग से बचने हेतु बृहद पैमाने पर जागरूक करने की व्यवस्था की जाए। आग को बुझाने हेतु उचित व्यवस्था की जाए व इसका प्रशिक्षण कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए।</p> <p>(4) पार्सल, लगेज या यात्री समान व गुड्स ट्रेन में ज्वलंतशील पदार्थों का परिवहन पर प्रतिबंध एवं इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।</p> | मुपरिप्र |
| 1.5 | <p>1) ट्रैक के मिसएलाइनमेंट को रोकने के उपाय करना।</p> <p>2) एलडब्ल्यूआर/ सीडब्ल्यूआर यदि डिसकन्टिन्यु है तो उसे हटाना।</p> <p>3) ट्रैक मरम्मत कार्य के लिए कार्यकारी तापमान पर ही ट्रैक को खोलना चाहिए।</p> <p>4) ट्रैक में फिटिंग को पूर्ण करना एवं बेकार/अनुपयोगी फिटिंग को बदलना।</p> <p>5) क्रीप को समायोजित करना एवं जाम जोड़ों को निकालना।</p> <p>6) एलडब्ल्यूआर/ सीडब्ल्यूआर का डिस्ट्रेसिंग करना।</p> <p>7) गिट्टी की कमी को पूरा करना।</p> <p>8) रेल तापमान जब टी.डी. 25 सेन्टीग्रेड पहुंच जाए तो पेट्रोलिंग शुरू कर देना चाहिए।</p> <p>9) गर्मी के मौसम में 12.00 बजे से 16.00 बजे के बीच ट्रैक मशीन से ट्रैक में काम नहीं करना।</p> <p>10) ट्रेस पासिंग के स्थानों को चिन्हित करके वहां गिट्टी भरने के उपयुक्त उपाय करना।</p> <p>11) पी.डब्ल्यूआई द्वारा फुटप्लेट / ट्रॉली निरीक्षण दिन के सबसे गर्म समय में करना।</p> <p>12) ट्रैक को अनावश्यक रूप से अटेन्ड नहीं करना।</p> | प्रमुइं |
| 1.6 | <p>1) वैगन एवं कोचों का प्रोपर अनुरक्षण सुनिश्चित करना।</p> <p>2) LWR/CWR में करें और न करें सुनिश्चित करें</p> <p>3) ब्रीज एप्रोच में, एल सी एप्रोच में, ट्रेस पासिंग लोकेशन पर गिट्टी की भराई और ड्रेसिंग सुनिश्चित करें।</p> <p>4) पेट्रोलमैन का Counseling सुनिश्चित करें।</p> <p>5) SEJ का प्रोपर अनुरक्षण किया जाना।</p> <p>6) दो रेलों के बीच के गैप का प्रोपर अनुरक्षण किया जाना।</p> <p>7) LWR/CWR का प्रोपर अनुरक्षण किया जाना।</p> <p>8) समपार फाटकों, कांटा एवं क्रॉसिंग तथा पुलों का प्रोपर अनुरक्षण किया जाना।</p> <p>9) यार्ड के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखा जाना।</p> <p>10) ट्रैक रिले के वोल्टता को सीमा के अन्दर रखा जाना नहीं तो ट्रैक occupied होते हुए भी पैनल पर दिखाई नहीं देगा।</p> <p>11) संयुक्त कांटा एवं क्रॉसिंग निरीक्षण के क्रम में पाई गई त्रुटियों को ठीक करना।</p> | मुसंधि |

| | | |
|-----|---|---------|
| | <p>12) सिगनलिंग उपकरणों के अर्थिंग सिस्टम को प्रोपर अनुरक्षित किया जाना ताकि लाइटनिंग की स्थिति में सिगनलिंग उपकरण खराब न हो ।</p> <p>13) गर्मी के दिनों में इंजिन का फेल्योर बढ़ जाता है इसलिए इसका प्रोपर अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाना ।</p> | |
| 1.7 | <p>गर्मी के मौसम में गाड़ियों के सवारी डिब्बों में पानी भरने वाले चिन्हित स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में पानी भरने वाले स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाना चाहिए जिससे पानी की कमी न हों। यात्री डिब्बों एवं वातानुकूलित डिब्बों के पंखों एवं वातानूलन की नियमित जांच एवं उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।</p> | मुसुआ |
| 1.8 | <p>कोचिंग अनुभाग :- मेन्टेनेन्स के दौरान वाशिंग पिट पर सभी प्राइमरी, सेकेंडरी तथा राउण्ड ट्रिप के गाड़ियों में पूर्णतः पानी भरना सुनिश्चित किया जाता है तथा वाशिंगपिट पर नहीं जानेवाले राउण्ड ट्रिप के गाड़ियों में प्लेटफॉर्म पर पूर्णतः पानी भरना सुनिश्चित किया जाता है।पटना, मुगलसराय, बरौनी, मुजफ्फरपुर, धनबाद, गोमो, वरकाखाना और चौपन से गुजनेवाले गाड़ियों में पूर्णतः पानी भरना सुनिश्चित किया जाता है।गुजरने वाले कुछ गाड़ियों जिनका शिड्यूल स्टॉपेज समय 10 मिनट या इससे कम है उनके स्टॉपेज समय को बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा जा चुका है।शिकायत मिलने पर अतिरिक्त समय लेकर पूर्णतः पानी भरना सुनिश्चित किया जाता है।वाटर सिस्टम में लीकेज पाये जाने पर प्लेटफॉर्म स्टाफ द्वारा खराबी को दूर किया जाता है।</p> <p>डीजल अनुभाग :- मंडलों एवं डीजल शेडों को दिशानिर्देश जारी कर दिया गया है।</p> | मुयाई |
| 1.9 | <p>ट्रैक सर्किट</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ट्रैक रिले पिक-अप/वोल्टेज को सीमा के अन्दर बनाये रखने के लिए ट्रैक सर्किट मानदंड का समंजन। ● इंसुलेटेड ज्वाइंट्स के इंड पोस्ट को क्रश होने से बचाने के लिए सरकन (क्रीप) को रोकना। ● इंसुलेटेड ज्वाइंट्स के दोनों तरफ के कम से कम एक रेल लंबाई पर सरकन (क्रीप) रोधी उपकरण इंजीनियरी विभाग द्वारा लगाया जाए। ● इंजीनियरी विभाग द्वारा ग्लूड ज्वाइंट्स पर clip की व्यवस्था। <p>प्वाइंट्स</p> <ul style="list-style-type: none"> ● रॉड चालित प्वाइंटों के लिए प्वाइंट रॉडिंग, समंजन योग्य क्रैंक, रॉड कॉम्पेन्सेटर का समंजन। ● रेल-पथ कर्मचारियों के साथ प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग और ट्रैक सर्किटों का संयुक्त निरीक्षण तथा संयुक्त निरीक्षण के दौरान नोट की गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। <p>संगनल</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सेमाफोर सिगनलों के लिए वायर रन का समंजन। ● सी.एल.एस सिगनलों पर हुड की व्यवस्था सुनिश्चित करना। . <p>विद्युत आपूर्ति</p> <ul style="list-style-type: none"> ● आई.पी.एस का उचित अनुरक्षण तथा आई.पी.एस के एक्साडस्ट फैन का कार्य करना। ● उचित वायुसंचार और आई.सी.एस एवं बैट्री रूम में एक्साडस्ट फैन की व्यवस्था। ● विद्युत आपूर्ति के ऑटो-चेन्ज ओवर व्यवस्था का उचित रूप में कार्य करना। ● वरि. मं.वि.इंजी/मं वि इंजी. के साथ समन्वय कर अस्थिर एवं कम वोल्टेज आपूर्ति वाले चिह्नित स्टेशनों पर राज्य विद्युत बोर्ड के स्थानीय विद्युत आपूर्ति में सुधार। ● सी.एल.एस स्टेशनों पर स्टैबिलाइजर्स और इनवर्टरों का उचित कार्य करना। ● आसुत (डिस्टिल्ड) जल संयंत्र का समुचित कार्य करना। ● बैट्रियों की जांच व अपेक्षित विशिष्ट गुरुत्व बनाये रखने के लिए सेलों में पर्याप्त डिस्टिल्ड वाटर सुनिश्चित करना। | मुसिदूई |

| | | |
|-----|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • सोलर पैनलों की साफ-सफाई और इसका उचित रूप से कार्य करना। <p>डी.जी.सेट</p> <ul style="list-style-type: none"> • डी.जी.सेटों का समुचित रूप में कार्य और पर्याप्त स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता। • आपात स्थिति में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण स्थलों पर पोर्टेबुल डी.जी.सेटों की उपलब्धता। • पत्र सं. 014/सिग/से.ई/ग्रीष्मकालीन सावधानी (समर प्रीकॉशन) दिनांक 03.05.2016 के क्रम में लंबे समय तक विद्युत कटने की अवधि में डी.जी.सेटों को चलाने के लिए डीजल ऑयल का पर्याप्त स्टॉक। <p>रिले रूम</p> <ul style="list-style-type: none"> • जहाँ कहीं उपलब्ध हो वातानुकूलन उपस्करों का समुचित रूप में कार्य करना। • वायु संचरण के लिए रिले रूम में उचित वेन्टिलेशन। • रिले रूम को डस्ट (धूल) मुक्त रखने के लिए साफ-सफाई। • कनेक्टर क्लिप की उचित लॉकिंग सुनिश्चित करने के लिए रिले वायरिंग का प्रत्यक्ष निरीक्षण। • केबुल प्रवेशकों का सील किया जाना। • अग्नि चेतावनी/अग्निशामक पद्धति की व्यवस्था। <p>सामान्य (इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली/केबुल/ब्लॉक)</p> <ul style="list-style-type: none"> • सभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली और ब्लॉक सर्किटों के लिए समुचित भू-सम्पर्क (अर्थिंग) सुनिश्चित करना। • केबुलों, उपस्करों, वायरिंग आदि के लिए प्रयुक्त टर्मिनलों का कसना। <p>तड़ित और आवेश (सर्ज) सुरक्षा प्रणाली</p> <ul style="list-style-type: none"> • सभी विद्यमान ए.बी.सी. और डी. किस्म के उपलब्ध सुरक्षा को उनके प्रभावशीलता के लिए जांच करना और उनमें अप्रभावी को प्रतिस्थापित करना। • इन उपकरणों से जुड़े भू (अर्थिंग) 1 ओम से कम होने चाहिए। • ए.बी.सी. और डी. किस्म के उपलब्ध सुरक्षा को तड़ित प्रवण क्षेत्रों खासकर जहाँ ऐसी घटनाएँ विगत में हो चुकी हैं वहाँ लगाना। <p>नाली की साफ-सफाई ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • वैसे स्टेशनों में जहाँ जल जमाव होता है जिसके फलस्वरूप ट्रैक सर्किट/प्वाइंट मशीन विफल होती है के नालियों की साफ-सफाई। <p>छतों का रिसाव ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • विशेषकर, रिले, बैट्री एवं विद्युत उपस्कर रूम में छत रिसाव को ठीक करना। <p>पेड़-पौधों की सफाई</p> <ul style="list-style-type: none"> • आग फैलने से रोकने के लिए सिग्नलिंग उपकरणों/केबुल के निकट पेड़-पौधों की सफाई। | |
| 2.0 | एजेंडा-(2) यार्ड अवपथन (डिरेलमेंट) में कमी लाना। | |
| 2.1 | <ol style="list-style-type: none"> 1) यार्ड लाइनों की प्रायः अनदेखी की जाती है, अतः यार्ड के लाइनों का भी उचित रख-रखाव होना चाहिए। 2) गुड्स शेडों के लाइनों पर ट्रकों का परिचालन रोकने की व्यवस्था होना चाहिए। 3) यार्ड में जल-जमाव को रोकने तथा पटरियों को जंग लगने से रोकने हेतु आम आदमी को शौच हेतु प्रयोग पर रोक की व्यवस्था। | महासचिव ईसीआरकेयू |
| 2.2 | <ol style="list-style-type: none"> 1) ट्रैक का गेज का रखरखाव के लिए अच्छे किस्म का composite GFN liner उपलब्ध कराया जाय जिसमें गेज लम्बे समय तक रहे। 2) Gange Tie plate युक्त Fan shape sleeper होना चाहिये। 3) Pts & Xing का अच्छे रखरखाव के लिये डिपार्टमेंटल रिकॉन्डिशनिंग बैच बड़े यार्ड के लिये अनिवार्य है। | कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी. एशो. |

| | | |
|-----|--|---------------------------|
| | <p>4) Scattered ज्वाइंट एवा SEJ ज्वाइंट को वेल्ड होना अनिवार्य है।</p> <p>5) Manual रखरखाव के चलते, यार्ड गैंग का strength full रखा जाए ताकि यार्ड का रखरखाव अच्छा रहे।</p> <p>6) अच्छी visibility के लिए, शंट सिग्नल का एलईडी सर्किटिंग अनिवार्य है।</p> <p>7) शंटिंग के दौरान, ईटी(यार्ड ड्राइवर) के साथ शंटमैन अनिवार्य रूप से रहे।</p> <p>8) यार्ड में कार्यरत ड्राइवर तथा शंटमैन को पूर्ण रूप से यार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसे ही कार्य पर लगाया जाए।</p> <p>9) मौखिक आदेश पर कार्य नहीं किया जाए, इसके लिए ड्राइवर एवं शंटमैन को कॉउसिलिंग एवम् प्रशिक्षित किया जाए।</p> | |
| 2.3 | <p>1) ट्रैफिक (क) प्वाइंट्स मैन को उचित वर्दी तथा प्रॉपर झंडी के साथ शंटिंग या मूवमेन्ट कराया जाए। (ख) प्रॉपर प्वाइंट्स पर क्लैम्प्स लगाकर पैडलाकिंग द्वारा प्वाइंट्स की संरक्षा की जाय।</p> <p>2) लोको (क) प्रॉपर ऑथोरिटी स्टेशन मास्टर से प्राप्त करके ही यार्ड में शंटिंग या मूवमेन्ट हों</p> <p>3) इंजीनियरिंग (क) सभी खराब स्विच क्रॉसिंग को समय से बदला जाय। संरक्षा सीमा से खराब कोई भी पार्ट नहीं रहना चाहिए। (ख) ट्रैक पैरामीटर को नियमित पैकिंग कराकर संरक्षा सीमा के भीतर रखा जाये। (ग) वर्क साइट पर प्रोपर संरक्षा जैसे बैनर फ्लैग, फॉग सिग्नल लगाकर ही या प्रॉपर ब्लाक लेकर ही कार्य कराया जाय।</p> <p>4) सिग्नल (क) शार्ट कट तरीका नहीं अपनाया जाय। (ख) गियर प्वाइंट्स का प्रॉपर तथा समय से मेंटेनेंस हों</p> | अध्यक्ष आरपीएफ एशो. |
| 2.4 | <p>यार्ड अवपथन में कमी लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठा कर जाए।</p> <p>(1) शंटिंग के दौरान सिर्फ स्थावर सिग्नलों पर ही निर्भर नहीं रहा जाए, शंटिंग हेतु नियुक्त सक्षम कर्मचारियों के संकेतों का सही ढंग से पालन भी किया जाए।</p> <p>(2) जिसमें लूज शंटिंग मना हो उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।</p> <p>(3) शॉर्टकट विधि न अपनाकर परिचालन के स्थापित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।</p> <p>(4) यार्ड की साफ-सफाई की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।</p> <p>(5) यार्ड में स्थित लाइनों का अनुरक्षण भी नियमानुसार किया जाए। कर्मचारियों का समय-समय पर प्रशिक्षण कराया जाए ताकि वह शंटिंग नियमों से कार्य करे।</p> | मुपरिप्र . |
| 2.5 | <p>1) प्वाइंट क्रॉसिंग पर विशेष ध्यान देना जैसे कि</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ स्विच एवं क्रॉसिंग नोज पर ग्रीज लगाना ○ प्वाइंट क्रॉसिंग क्षेत्र में कम-से-कम फिश प्लेट जोड़ रखना। ○ सी.एम.एस. क्रॉसिंग जोड़ में गैप को नहीं रखना। ○ क्रॉसिंग बॉडी के सभी जोड़ पर एक मीटर फिश प्लेट लगाना। <p>2) यार्ड में पानी निकासी की उचित व्यवस्था करना।</p> <p>3) प्लैटफार्म लाइनों पर आवश्यकतानुसार वाशेबल एप्रन का निर्माण करना।</p> <p>4) ऊंचे प्लैटफार्म के पास यदि बड़े बोल्टर हैं तो उनको हटाना।</p> <p>5) लो ज्वाइंट को ठीक करना।</p> <p>6) लूप लाइन को भी एल.डब्ल्यू.आर. में परिवर्तन करना।</p> <p>7) यार्ड क्षेत्र में बेकार/अनुपयोगी रेलों को यथाशीघ्र बदलना।</p> <p>8) यार्ड के सभी पथ का सारे पी.डब्ल्यू.आई. द्वारा पैदल चल कर निरीक्षण करना।</p> <p>9) जंग वाला क्षेत्र होने के कारण प्रत्येक दो वर्ष पर सही तरीके से पेन्टिंग करना</p> <p>10) तथा यदा-कदा आवश्यकतानुसार बीच में पेन्टिंग करना।</p> <p>11) प्रत्येक प्लैटफार्म लाइन में दूरी ब्लॉक को प्रत्येक 30 स्लीपर के अंतराल पर सुनिश्चित करना।</p> | प्रमुइं |

| | | |
|-----|--|---------|
| 2.6 | <ol style="list-style-type: none"> 1) शंटिंग के दौरान शंटिंग नियमों का पालन करना। 2) नन इंटरलॉक प्वाइंट को सेटिंग एवं पैड लॉकिंग सुनिश्चित करना। 3) हाथ सिगनल का सही-सही प्रयोग करना तथा रात के समय सिर्फ लाल और हरा बत्ती का ही प्रयोग करना। 4) गाड़ी की अधिकतम गतिसीमा 15 कि.मी. होनी चाहिए। 5) लोको पायलट द्वारा शंटिंग के समय सिगनल एवं प्वाइंट का ध्यान रखना चाहिए। 6) लंबे लोड के लिए पर्याप्त शंटमैन का व्यवस्था होना चाहिए। 7) लोको पायलट वॉकीटॉकी पर ही निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि सिगनलों के इंडीकेशन पर भी ध्यान देंगे। 8) ट्रेन थ्रू होने पाने पर ट्रेन को बिना स्टेशन मास्टर के लिखित प्राधिकार के बैक नहीं करेंगे। 9) Corrosion का अलग से रजिस्टर मेंटेन करें। 10) Corrosion से प्रभावित ट्रैक में और प्लेटफार्म लाईन के ट्रैक में Anti corrosive painting सुनिश्चित करें। 11) प्वाइंट एंड क्रॉसिंग में ZMF सुनिश्चित करें। 12) CMS क्रॉसिंग में गैपलेस ज्वाइंट सुनिश्चित करें। 13) ROB और FOBs के नीचे ट्रैक में गार्ड रेल सुनिश्चित करें। 14) प्वाइंट एंड क्रॉसिंग के मेंटेनेंस शिड्यूल का पालन करें। 15) प्वाइंट एंड क्रॉसिंग का ज्वाइंट इंस्पेक्शन (इंजीनियरिंग विभाग और सिगनल विभाग का) शिड्यूल पर करें और उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। 16) प्वाइंट एंड क्रॉसिंग का USFD टेस्टिंग सुनिश्चित करें और टेस्ट चेक करें। 17) यार्ड में ट्रेन और क्रॉस ट्रेन सुनिश्चित करें जिसे ट्रैक में जल-जमाव, Corrosion नहीं हो। 18) सुनिश्चित करें कि वाटर बूथ का पानी ट्रैक पर नहीं आए। 19) प्लेटफार्म की गंदगी सफाई कर ट्रैक पर नहीं डालें। 20) प्लेटफार्म लाईन में लकड़ी का डिस्टेंट ब्लॉक सुनिश्चित करें। | मुसंधि |
| 2.7 | <p>गर्मी के मौसम में ट्रैक की नियमित जांच होना चाहिए। खराब सामानों को तुरंत मरम्मत कराना चाहिए, संकेत एवं संचार प्रणाली सतत ठीक रहे इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। समय पालन के अलावा संरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए।</p> | मुसुआ |
| 2.8 | <p>कोचिंग अनुभाग :- अंडर कैरेज का रख-रखाव (मेंटेनेंस शिड्यूल) गाड़ियों को भलीभांति अनुरक्षण किया जाता है ताकि अण्डर कैरेज के लिए कोई अपथन न हो।</p> <p>डीजल अनुभाग :- शंटिंग मेंमें के उचित संख्या में Pointsmen नहीं दिया जा रहा है। प्रेशर शंटिंग हेतु निर्देश जारी किया गया है।</p> | मुयाई |
| 2.9 | <p>अवपथन/दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सिगनल व दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित सावधानियां बरती गई हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ट्रेनों को पास कराये जाने हेतु कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाए जाने तथा सिगनलिंग गियरों के सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए एस.एंड.टी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा कर्मचारियों की काउंसलिंग कर संरक्षा पर विशेष ऑन-साइट सेमिनार/बैठकें आयोजित की गई इस अभियान के दौरान 1287 अधिकारियों और 203 पर्यवेक्षकों द्वारा कुल 331 सेमिनार/बैठकें आयोजित की गई। 2. ऐसे एस.एंड.टी गियर जिन्हें डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है, उनके अनुरक्षण से पूर्व एस.एंड.टी कर्मचारियों द्वारा डिस्कनेक्शन मेमो लिए जा रहे हैं। कुल प्रस्तुत किए गए 7773 डिस्कनेक्शन मेमो में से कुल 7329 डिस्कनेक्शन मेमो स्वीकार किए गए। मुख्यालय स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है। 3. किसी भी परिस्थिति में, शॉर्टकट तरीके नहीं अपनाए जाने के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर/जूनियर इंजीनियरों एवं सिगनल इंटरलॉकिंग अनुरक्षकों से लिखित आश्वासन लिए गए हैं। सीनियर सेक्शन इंजीनियर/जूनियर इंजीनियरों (सिगनल) एवं एस.आई.एम से कुल 1004 अदद लिखित आश्वासन प्राप्त किये गए हैं। (एसएसई/जेई - 121, एसआईएम - 8883)। | मुसिदूई |

4. विशेष अभियान फील्ड स्तर के निरीक्षण को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए किए गए हैं। अभियान के दौरान अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा निम्न पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशन/यार्ड के निरीक्षण तथा फुट प्लेट निरीक्षण कराये गए :
- (क) सिरीज डिटेक्शन, बाधा जांच और कॉरैस्पोंडेंस जांच हेतु सभी प्वाइंटों की जांच की गई।
- (ख) ट्रैक सर्किटों का समायोजन, प्वाइंट समायोजन, ज्वायंट प्वाइंट का कम्प्लाइन्स एवं क्रासिंग निरीक्षण की कमियों का अनुपालन, वेजिटेशन की ट्रिमिंग/रिमूविंग करना जो सिग्नल को **obstruct** करता हो।
- (ग) समांतर ट्रैक सर्किटों आदि का हटाया जाना।
- (घ) सिग्नल की सही दृश्यता की जांच के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा फुटप्लेट निरीक्षण किये गए।
5. स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति उपकरणों, आईबीएच, अर्थों, फ्यूजों के सही संयोजन हेतु रिले हटों तथा बैटरियों की हालत की जांच की जा रही है और कमियों को दूर करने तथा एस.एंड.टी सर्विस भवनों में आग आपदा को रोकने के लिए निरीक्षण किया गया।
6. इंजीनियरिंग और एस.एंड.टी अधिकारियों द्वारा प्वाइंटों और क्रासिंगों के संयुक्त निरीक्षण हेतु, विशेष अभियान चलाए गए। मंडलवार स्थिति निम्नलिखित है:-

धनबाद मंडल-

- विशेष अभियान के दौरान, मंडल के 66 स्टेशनों पर प्वाइंटों और क्रासिंगों के संयुक्त निरीक्षण किए गए। इन 66 स्टेशनों में से 505 की कमियों को नोट किया गया।
- अभियान के दौरान 505 इंजनियरिंग कमियों में से 89 का अनुपालन किया गया और 416 अनुपालन के लिए शेष हैं।
- एस.एंड.टी फिक्सचरों को खोलकर 32 प्वाइंटों पर UNIMATAE मशीन द्वारा पूरे टर्न-आउट और क्रॉस-ओवर टैम्पिंग करायी गयी।

दानापुर मंडल-

- दिनांक 02.12.16 से प्वाइंट और क्रासिंग का स्टेशनवार संयुक्त निरीक्षण शुरू कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। दिनांक 15.12.16 तक 32 स्टेशनों पर निरीक्षण पूरा कर लिया गया है।
- कुल 906 इंजीनियरिंग संबंधी कमियों को नोट किया गया और जहां कहीं भी संभव है, वहां कमियों का अनुपालन भी किया जा रहा है।

मुगलसराय मंडल-

- कुल 345 प्वाइंटों का स्टेशनवार प्वाइंट और क्रासिंग निरीक्षण किया गया। कुल 1009 इंजीनियरिंग कमियों को नोट किया गया तथा कमियों का अनुपालन प्रगति पर है।

सोनपुर मंडल-

- विशेष अभियान के दौरान मंडल के 36 स्टेशनों पर प्वाइंटों और क्रासिंगों का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। इन 36 स्टेशनों में से 226 के कमियों को नोट किया गया है। उसका अनुपालन किया जा रहा है।
- प्वाइंट और क्रासिंग के तीसरी तिमाही संयुक्त निरीक्षण के दौरान कुल 652 कमियों पायी गईं। सभी कमियों का अनुपालन कर लिया गया है।
- सभी पहचान किये गए 14 खराब स्विच रेल को बदल दिया गया है।
- एस.एंड.टी फिक्सचरों को खोलकर 8 स्टेशनों पर UNIMATAE मशीन द्वारा पूरे टर्नआउट और क्रॉस-ओवर की टैम्पिंग की गई।

समस्तीपुर मंडल-

- प्वाइंट और क्रासिंग का स्टेशनवार संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है और कार्य प्रगति पर है। दिनांक 15.12.16 तक 50 स्टेशनों का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। इन स्टेशनों पर प्वाइंट और क्रासिंग के संयुक्त निरीक्षण के दौरान पायी गईं 1575 कमियों में से केवल 57 कमियों को अब तक पूरा कर लिया गया है। शेष 1518 कमियों के अनुपालन के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल को मेमो जारी किया गया है।

संविभाजित आय (Apportioned Earnings) (2016-17)

(करोड़ रुपये में)

| मद | वास्तविक 2015-16 | लक्ष्य 2016-17 | वास्तविक फरवरी 2016 के अंत तक | बजट अनुपात फरवरी 2017 के अंत तक | वास्तविक फरवरी 2017 के अंत तक (लगभग) | पिछले वर्ष की तुलना में | | आनुपातिक लक्ष्य | |
|----------------|---------------------|-------------------|--|---|--|----------------------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | अंतर | % अंतर | अंतर | % अंतर |
| यात्री | 2220.29 | 2442.26 | 2035.27 | 2254.95 | 2134.54 | 99.27 | 4.88 | -120.41 | -5.34 |
| अन्य कोचिंग | 60.06 | 70.00 | 52.05 | 66.39 | 46.32 | -5.73 | -11.00 | -20.07 | -30.22 |
| माल | 8558.99 | 8681.12 | 7740.40 | 8090.79 | 7467.84 | -272.56 | -3.52 | -622.95 | -7.70 |
| विविध | 163.60 | 174.38 | 144.18 | 172.47 | 154.48 | 10.30 | 7.15 | -17.99 | -10.43 |
| कुल | 11002.94 | 11367.76 | 9971.90 | 10584.60 | 9803.19 | -168.71 | -1.69 | -781.41 | -7.38 |

(फरवरी ,2017 तक)

| माल लदान | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| (FREIGHT LOADING PERFORMANCE) (मिट्रिक टन में) | | | | | | | |
| मद | वास्तविक 2015-16 | लक्ष्य 2016-17 | लक्ष्य 2016-17 | वास्तविक 2015-16 | वास्तविक 2016-17 | % अंतर 2015-16 | % अंतर लक्ष्य |
| | वार्षिक | | अप्रैल- फरवरी | | | | |
| कोयला | 104.17 | 110.65 | 100.67 | 94.90 | 94.75 | -0.16 | -5.88 |
| कच्चा माल (स्टील प्लान्ट के लिए) | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.066 | -49.62 | -52.86 |
| सीमेंट | 1.45 | 1.56 | 1.42 | 1.37 | 1.25 | -8.91 | -12.18 |
| मिनरल ऑयल | 1.62 | 1.80 | 1.64 | 1.51 | 1.25 | -17.43 | -24.02 |
| खाद्य सामग्री | 1.18 | 1.28 | 1.16 | 1.13 | 1.04 | -7.96 | -10.26 |
| अन्य | 5.61 | 6.55 | 5.95 | 5.47 | 5.76 | 5.28 | -3.18 |
| कुल | 114.93 | 122.00 | 110.98 | 104.51 | 104.11 | -0.39 | -6.19 |

(फरवरी ,2017 तक)

वास्तविक आय (Originating Earnings) (2016–17)

(करोड़ रुपये में)

| मद | उपलब्धि (2015–16) | लक्ष्य (2016–17) | संचयी उपलब्धि (फरवरी ,2017 तक) | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | वास्तविक (2015-16) | आनुपातिक लक्ष्य (2016–17) | उपलब्धि (2016–17) | % अंतर 2015–16 | % अंतर आनुपातिक लक्ष्य |
| यात्री आय | 2429.78 | 2569.72 | 2232.99 | 2361.13 | 2374.22 | (+) 6.32 | (+) 0.55 |
| अन्य कोचिंग आय | 123.41 | 140.11 | 112.46 | 128.07 | 128.86 | (+) 14.58 | (+) 0.61 |
| माल आय | 11018.69 | 10896.63 | 10053.88 | 9699.98 | 9673.88 | (-) 3.78 | (-) 0.27 |
| विविध आय | 163.60 | 174.38 | 144.18 | 172.47 | 154.48 | (+) 7.14 | (-) 10.43 |
| कुल आय | 13735.48 | 13780.84 | 12543.51 | 12361.65 | 12331.44 | (-) 1.69 | (-) 0.24 |

(फरवरी ,2017 तक)

टिकट जाँच का कार्य

| विवरण | गत वर्ष 2015–16 फरवरी ,2017 तक | चालू वित्त वर्ष 2016–17 फरवरी ,2017 तक | % अंतर गत वर्ष के साथ |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
| पेनाल्टी मामलों की संख्या (लाख में) | 14.29 | 16.97 | (+) 18.79 |
| पेनाल्टी आय (करोड में) | 54.60 | 66.24 | (+) 21.32 |
| यूबीएल मामलों की संख्या (लाख में) | 4.53 | 3.88 | (-) 14.28 |
| यूबीएल से आय (करोड में) | 2.62 | 2.2230403 | (-) 15.01 |

(फरवरी ,2017 तक)

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 15.12.2016) के कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी :-

| क्र.सं. | मद | विभागाध्यक्ष | अभियुक्ति |
|---------|---|--|---|
| 1.0 | श्री एस.सी. त्रिवेदी, अध्यक्ष, ईसीआरकेयू | | |
| 1.1 | कोहरे के मौसम में कर्मचारियों को ज्यादा सतर्क बनाया जाना चाहिए। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाय कि उनका मनोबल ऊंचा बना रहे तथा भयहीन स्थिति में रहें। | <p>मुविइं,</p> <p>मुसंधि,</p> <p>मुवाप्र,</p> <p>मुपरिप्र</p> <p>मुयाईं</p> <p>प्रमुइं</p> | <p>इस संबंध में लोको पायलटों का नियमित रूप से कॉनसिलिंग किया जाता है।</p> <p>कुहासा सिगनल लगाए जाने वाले स्टेशन में कुहासा सिगनल मैन को इस संबंध में पूरी जानकारी देकर एवं जागरूक करके तथा आश्वासन लेकर ही ड्यूटी पर लगाया जाता है।</p> <p>मूलतः यह संरक्षा से जुड़े कर्मचारियों से सम्बन्धित है। तथापि, वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को गाड़ियों के रद्द होने, अति-विलंबित होने या मार्ग परिवर्तन होने की स्थिति में निर्देश दिए जाते हैं कि टिकटों के रद्दीकरण एवं धन वापसी, पूछताछ काउंटरो से गाड़ियों के परिचालन की अद्यतन सूचना की व्यवस्था जैसे कार्य निर्बाध रूप से कार्यान्वित हो।</p> <p>कोहरे के समय में सुचारु कार्य संपादन हेतु सभी मंडलों को संरक्षा परिपत्र जारी किया गया है।</p> <p>कोहरे के मौसम में सुचारु परिचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश कर्मचारियों को दिए जाते हैं एवं नियमित रूप से कॉनसिलिंग किया जाता है।</p> <p>कोहरे के मौसम में कर्मचारियों के बीच समय-समय पर संरक्षा नियमों का पालन करने हेतु जागरूकता फैलाने के लिए सभी समंई को निदेशित किया गया है और समय-समय पर इस दिशा में विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है।</p> |
| 1.2 | संरक्षा श्रेणी के रिक्त लगभग 50 प्रतिशत रिक्तियों को अविलंब भरी जाय ताकि कर्मचारी लंबी ड्यूटी से बच सकें। परिणामतः डर एवं लंबी-लंबी ड्यूटी के कारण होने वाली गलतियों से बचा जा सके एवं कर्मचारी शार्टकट तरीकों से बच सकें एवं रन ओवर न हो सकें। | मुकाधि | <p>1) 01 नवंबर 2016 से दिनांक 15.02.2016 तक संरक्षा कोटि पदों हेतु कुल 1521 नामिकाएं (SIM,ALP,WTM, Goods Guard,ASM) सभी मंडलों को उपलब्ध कराई गई है।</p> <p>2) संरक्षा कोटि अंतर्गत संरक्षा संवर्ग की रिक्तियों को भरने हेतु महाप्रबंधक महोदय के अ० शा० पत्र सं० ECR/HRD/MPP/Action /Pt.1 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा रेलवे बोर्ड से निम्न बिन्दुओं पर अनुरोध किया गया है :</p> <p>I. अन्य RRB's से ASM&Goods Guard की नामिकाएं पूर्व मध्य रेल को उपलब्ध कराई जाय।</p> <p>II. ग्रेड पे रू०1800 हेतु प्राप्त मॉगपत्र पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की अनुमति पूर्व मध्य रेल को दी जाय।</p> <p>3) रेलवे बोर्ड के द्वारा RRB/BSP से 27 सहायक स्टेशन मास्टर के नामिका को पूर्व मध्य रेल में Divert करने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में RRB/BSP को मॉगपत्र भेजा रहा है एवं अतिशीघ्र पैनल मिलने की संभावना है।</p> <p>3) इसके अतिरिक्त पूर्व मध्य रेल के शीर्ष पर संरक्षा कोटि पदों यथा सलोपा, सस्टेमा, एवं गुड्स गार्ड के कुल</p> |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | | | 2930 पदों हेतु मॉगपत्र रेलवे भर्ती बोर्ड /पटना/मुज०/राँची में लंबित है। |
| 1.3 | पेट्रोलिंग में खासकर समस्तीपुर मंडल में एक ही कर्मचारी के बजाय कम से कम 02 कर्मचारी अप एवं डाउन दिशा में लगाए जायं तथा इनका बीट कम किया जाय। | प्रमुइं | ट्रेक पेट्रोलिंग में समस्तीपुर मंडल में एक ही कर्मचारी के बजाय कम से कम 02 कर्मचारी के तैनाती हेतु सभी समई को निदेशित किया गया है और उसका बीट का निर्धारण एकल या दोहरी लाइन, एलडब्ल्यूआर मैनुअल के अनुसार से किया जाता है। |
| 1.4 | नए स्टेशन एवं नए सेक्शन के लिए अलग से बीओएस बनाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय। | मुकाधि | नये स्टेशन एवं सेक्शन के लिए अलग से BOS बनाकर पदों की स्वीकृति संबंधी मिसिल निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है। |
| 1.5 | ऐसा पाया गया है कि दुर्घटनाओं के निरीक्षण रपट में वास्तविक स्थिति की ओर संकेत करने के बजाय मानव त्रुटि दिखाकर जांच रपट का इति श्री कर दिया जाता है जबकि कर्मचारियों की चूक उन पर कार्य का बढ़ता दबाव होता है। | मुविइं मुसंधि मुपरिप्र, मुयाईं प्रमुइं | जांच कमिटी द्वारा पूर्ण रूप से दुर्घटना के कारणों को पता करके समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।—मुविइं दुर्घटना का निरीक्षण रिपोर्ट बनाते समय उस समय की परिस्थिति,नियमों का उल्लंघन,उपकरणों की विफलता, मानव चूक इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसके बाद उच्च स्तर पर निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए सहमति की जाती है। कोई भी निरीक्षण रपट वास्तविक साक्ष्य या उस समय के उपस्थित साक्ष्य के आधार पर ही बनाया जाता है और कर्मचारियों की चूक उन पर बढ़ते कार्य का दबाव पूर्णतः सत्य नहीं है। ट्रेन दुर्घटना के पश्चात् जांच कमिटी द्वारा दुर्घटना के हर बिंदुओं पर ध्यान रखा जाता है, यदि मानव भूल या त्रुटि पाई जाती है तो उस दशा में प्रदत्त नियमों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाती है। दुर्घटना के निरीक्षण रपट में दुर्घटना के सभी बिंदुओं पर ध्यान रखकर सक्षम पर्यवेक्षकों/ अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। मानवीय त्रुटि पाये जाने पर ही कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा दोषी ठहराया जाता है। |
| 1.6 | कोहरे के मौसम में छोटे प्लेटफार्म वाले स्टेशनों के लिए ओवर लोडेड गाड़ियां न चलाई जायं। | मुपरिप्र | नोट किया गया। |
| 2.0 | श्री एस. के. पाण्डेय, महासचिव/ ईसीआरकेयू | | |
| 2.1 | पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में राजस्व में दर्शाई गई कमी का मुख्य कारण प्रशासनिक आदेश है यथा 13039/13040 को बंद कर दिया गया तथा 13131/13132 कोलकता-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस चलायी गयी और जहां-जहां 13039/13040 एक्सप्रेस का ठहराव था वहां-वहां ठहराव दिया गया। कोहरे के मौसम में गाड़ी संख्या 13131/13132 को पटना में ही टर्मिनेट कर दिया गया। राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए कम से कम इस गाड़ी को मुगलसराय तक चलाया जाय। | मुपरिप्र, मुवाप्र | गाड़ी सं० 13131/13132 का विस्तार मुगलसराय स्टेशन तक नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ स्टेबलिंग लाइन का अभाव है तथा प्लेटफॉर्म की समस्या होगी। यह निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर लिए गए हैं। अतः इस विषय पर टिप्पणी परिचालन विभाग से लिया जा सकता है। |
| 2.2 | आरा एवं बक्सर जैसे बड़े स्टेशनों पर | मुवाप्र | मुवाप्र-रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2003/टीसी(एफएम)/ |

| | | | |
|-----|--|----------------------|--|
| | पार्सल की लोडिंग पुनः शुरू की जाय । | | 11/18, दि.27.02.2004 के अनुसार जिन जिन स्टेशनों पर जिस मेल/एक्स0 गाड़ियों का ठहराव पाँच मिनट से कम हो, उस स्टेशन पर पार्सल की लोडिंग/अनलोडिंग को बंद कर दिया गया है। इस निर्देश के आलोक में आरा एवं बक्सर जैसे बड़े स्टेशनों पर पार्सल की लोडिंग/अनलोडिंग प्रतिबंधित है। |
| 2.3 | इंटरनेट पर परिचालन से संबंधित जानकारी गाड़ियों के यथास्थिति व स्थान सही-सही दिखाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। | मुसिदूँ, मुपरिप्र | गाड़ियों की यथास्थिति एवं स्थान इंटरनेट पर सही-सही दिखाया जाता है। यथोचित दिशा-निर्देश दिया जा रहा है |
| 2.4 | दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से अनुरक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना चाहिए इससे कर्मचारियों का दुरुपयोग रुकेगा। | सभी विभागाध्यक्ष | दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से अनुरक्षण कार्य में लगे कर्मचारी का बायोमेट्रिक उपस्थिति का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। -विसमुलेधि इस संबंध में सभी मंडलों को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। मंडलों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। - मुसुआ सुक्षाव को नोट किया गया। - मुप्रअ/नि/उ नोट किया गया। - मुविइं नोट किया गया।-मुसंधि कार्यवाही की जा रही है। -मुसिदूँ कोच, माल डिब्बा एवं डीजल लोको में प्रतिनियुक्त अनुरक्षण कर्मचारियों का उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता है।- मुयाईं यह एक नीतिगत मामला है जिसमें सभी संबंधित विभागसे आवश्यक सहमति अपेक्षित होगी।- प्रमुइं |
| 2.5 | सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहायक स्टेशन मास्टर एवं गार्ड की रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करें। | मुकाधि | 1) 01 नवंबर 2016 से दिनांक 15.02.2016 तक संरक्षा कोटि पदों हेतु कुल 1521 नामिकाएं (SIM,ALP,WTM, Goods Guard,ASM) सभी मंडलों को उपलब्ध कराई गई है। 2) संरक्षा कोटि अंतर्गत संरक्षा संवर्ग की रिक्तियों को भरने हेतु महाप्रबंधक महोदय के अ० शा० पत्र सं० ECR/HRD/MPP/Action /Pt.1 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा रेलवे बोर्ड से निम्न बिन्दुओं पर अनुरोध किया गया है : I.अन्य RRB's से ASM&Goods Guard की नामिकाएं पूर्व मध्य रेल को उपलब्ध कराई जाय। II. ग्रेड पे रू०1800 हेतु प्राप्त मॉगपत्र पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की अनुमति पूर्व मध्य रेल को दी जाय। 3) रेलवे बोर्ड के द्वारा RRB/BSP से 27 सहायक स्टेशन मास्टर के नामिका को पूर्व मध्य रेल में Divert करने का आदेश प्राप्त हुआ है,जिसके आलोक में RRB/BSP को मॉगपत्र भेजा रहा है एवं अतिशीघ्र पैनल मिलने की संभावना है। 3) इसके अतिरिक्त पूर्व मध्य रेल के शीर्ष पर संरक्षा कोटि पदों यथा सलोपा, सस्टेमा, एवं गुडस गार्ड के कुल 2930 पदों हेतु मॉगपत्र रेलवे भर्ती बोर्ड /पटना/मुज०/रॉची में लंबित है। |
| 2.6 | राजस्व में वृद्धि के लिए टिकट जांच के | मुवाप्र | टिकट चेकिंग के दौरान रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों की |

| | | | |
|-----|---|-------------------------------|---|
| | दौरान रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल एवं टीटीई के बीच समन्वय रहना चाहिए । | मुसुआ | प्रतिनियुक्ति की जाती है। रेलवे सुरक्षा बल एवं टिकट जाँच दल के बीच पूर्ण समन्वय रहता है एवं इस पर अधिकारियों द्वारा रोजाना मॉनिटरिंग भी की जाती है। टिकट जाँच के दौरान बल सदस्यों एवं टीटीई के बीच समन्वय हेतु सभी मंडलों को निर्देशित किया गया है । वाणिज्य विभाग द्वारा बल सदस्यों की मांग करने पर टिकट जांच हेतु अधिक से अधिक बल मंडलों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । |
| 2.7 | राजकीय रेल पुलिस को रेलवे से समाप्त करने के लिए सुझाव रेलवे बोर्ड को भेजा जाय कि रेलवे को इससे नुकसान ही नुकसान है । | मुसुआ | यह रेलवे बोर्ड स्तर का नीतिगत मामला है । |
| 2.8 | प्रकाश पर्व के दौरान गाड़ियों के आने जाने से संबंधित उद्घोषणा करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को ही लगाया जाय । | मुवाप्र | प्रकाश पर्व के दौरान पटना से हाजीपुर के लिए विशेष गाड़ियों का परिचालन किया गया एवं सोनपुर एवं हाजीपुर स्टेशन पर यात्री सहायता केन्द्र की व्यवस्था की गई। कर्मचारियों के अलावे स्काउट एवं गाईड के लड़के की भी प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त गाड़ियों के आने जाने से संबंधित सूचना स्वतः उद्घोषणा प्रणाली के साथ-साथ नियमित अंतराल में रेलवे कर्मचारियों द्वारा भी उद्घोषित किया गया। |
| 3.0 | श्री डी.के.पाण्डे, कार्यकारी अध्यक्ष / ईसीआरकेयू | | |
| 3.1 | कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तनाव से निजात दिलाने के लिए दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की आवश्यकता है । उनकी शिकायतों को अविलंब दूर किया जाना चाहिए । उनका नियमित चिकित्सीय जांच की जानी चाहिए एवं आवश्यकतानुसार शिविर भी लगाया जाना चाहिए । संरक्षा सेमिनार लगातार होना चाहिए एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि लगातार होनी चाहिए । | मुचिनि, मुकाधि, मुसंधि | नियमित चिकित्सीय जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया जाता है। इस दिशा में मुख्यालय स्थित वैशाली रेल प्रेक्षागृह में कार्मिक विभाग के तत्वाधान में मुख्यालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों को तनाव मुक्त रखने के उद्देश्य से दिनांक 14.12.16 से 16.12.16 तक Heartfulness Meditation Camp का आयोजन किया गया। भविष्य में कार्मिक विभाग द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन पर ध्यान दिया जायगा। पूर्व मध्य रेल पर पहले से ही इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। जरूरत है Frequency बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने की । |
| 4.0 | श्री एस.एन.पी.श्रीवास्तव, अपर महासचिव / ईसीआरकेयू | | |
| 4.1 | रेलवे की छवि को सुधारने के लिए रेलवे में कठिन परिस्थितियों में किये जा रहे कार्यों को मीडिया के माध्यम से सकारात्मक प्रचार किया जाना चाहिए तथा मीडिया के कुप्रचार से निपटने के उपायों पर भी जोर देना चाहिए । | मुजसंधि | प्रयास किया जा रहा है। |
| 4.2 | रनिंग स्टाफ के निर्धारित ड्यूटी आवर का पालन सुनिश्चित होना चाहिए तथा इसका पालन करने वाले कर्मचारियों में भय का वातावरण बनाने से बचना चाहिए। | मुपरिप्र, मुविडं, मुयाई | रनिंग स्टाफ के निर्धारित ड्यूटी आवर (10 आवर्स रूल) के द्वारा निर्धारित किया जाता है । इसका अनुपालन सी एम एस के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। (अनुलग्नक-1) नोट किया गया। कू लिंक बनाने के समय यह ध्यान रखा जाता है कि रेल परिषद द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत रनिंग कर्मचारियों का |

| | | | |
|-----|--|---------------------------|---|
| | | | ड्यूटी आवर का पालन किया गया, विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर। |
| 4.3 | पेट्रोलमैन के लिए भंडार विभाग द्वारा आपूर्ति की गयी बैट्री बिल्कुल बेकार है अतः इस समस्या से निपटने के लिए नकदी या अग्रदाय उपलब्ध कराया जाय । | भंडानिक, विसमुलेधि | बैट्री की आपूर्ति रिपुटेड फर्मों से क्रय आदेश जारी करके किया जाता है। सामग्री की गुणवत्ता की जाँच राइट्स द्वारा किया जाता है जहाँ तक बैट्री के बदले नकदी या अग्रदाय उपलब्ध कराने का सवाल है उसे उचित स्तर/उच्च कोरम पर लिया जा सकता है। नोट किया गया। |
| 4.4 | प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षक के रूप में दक्ष लोगों को लगाया जाय । | सभी विभागाध्यक्ष | रेसुब प्रशिक्षण केन्द्र/मोकामाघाट में आरक्षी बल सदस्यों को दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।- मुसुआ लेखा विभाग द्वारा दक्ष लोगो को ही प्रशिक्षण के ही प्रशिक्षक के रूप में लगाया जाता है।-विसमुलेधि सुक्षाव को नोटकिया। -मुप्रअ/नि/उ दक्ष निरीक्षकों का चुनाव के पश्चात नियुक्ति की जाती है।- मुविइं नोट किया गया। -मुसंधि पूर्व मध्य रेल में प्रशिक्षण संस्थानों में दक्ष प्रशिक्षकों की तैनाती की जाती है।-मुसिदूइं दक्ष प्रशिक्षक की चयन प्रक्रिया जारी है। -मुपरिप्र नोट किया गया। -भंडानिक यांत्रिक समाडि एवं डीजल प्रशिक्षण केन्द्रों पर दक्ष प्रशिक्षक के चयन की प्रक्रिया मुख्यालय कार्मिक विभाग द्वारा की जा रही है। -मुयांई प्रशिक्षण संस्थानों में दक्ष प्रशिक्षक को ही लगाया जाता है और इस दिशा में सतत प्रयास किया जा रहा है।- प्रमुइं |
| 4.5 | मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण संस्थान कुव्यवस्थित है तथा वहाँ प्रशिक्षणार्थियों के बीच भय का वातावरण है, टी.ए का निर्धारित राशि आवश्यक रूप से खाने के मद में वसूल लिया जाता है । कृपया इससे निजात दिलाने की व्यवस्था की जाय । | मुपरिप्र | विदित हो कि प्रशिक्षुओं से खाने के मद में महाप्रबंधक/ कार्मिक पूमरे के द्वारा निर्धारित मेस शुल्क ली जाती है । महाप्रबंधक/कार्मिक पूमरे का ज्ञापन सं० ईसीआर/ एचआरडी/322/वेलफेयर /मिस /पार्ट-1 (लूज) दिनांक 02.01.13 का पत्र सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। विदित हो कि उपरोक्त मेस शुल्क एवं मेन्यू के निर्धारण में मान्यता प्राप्त यूनियन प्रतिनिधि की सहमति भी होती है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में महाप्रबंधक/कार्मिक द्वारा अनुमोदित मेस में मेन्यू के अनुरूप ही मेस व्यवस्था समिति के द्वारा प्रशिक्षुओं को खान-पान मुहैया कराया जाता है। मेस के खान-पान की गुणवत्ता के संबंध में सभी प्रशिक्षुओं से नियमित रूप से फीडबैक लिए जाते हैं तथा प्रशिक्षुओं के सुझाव के अनुसार कार्रवाई की जाती है। टी.ए. की निर्धारित राशि का मेस के खाने के मद से कोई लेना देना नहीं है। अतः यह आरोप बेबुनियाद असत्य तथा तथ्यहीन है। |
| 4.6 | परसा स्टेशन के आसपास रेलवे ट्रैक के दोनों ओर अनधिकृत रूप से बनाये गये रास्तों को बंद कर रेलवे को अपनी जमीन कब्जे में लेने की जरूरत है, ताकि गाड़ियों का दुर्घटना रहित एवं निर्वाध परिचालन सुनिश्चित हो सके। | प्रमुइं, मुसुआ | परसा स्टेशन लिमिट के अन्दर जो भी अनधिकृत रास्ते बनाये गये हैं, और उसको बंद करना परिचालन विभाग का कार्य है। यदि इस संबंध में कोई आपेक्षित सहयोग की जरूरत है तो इंजी० विभाग नियमानुसार मदद करेगी। परसा स्टेशन के आस-पास रेलवे ट्रैक के दोनों ओर अनधिकृत रूप से बनाये गये रास्तों को इंजीनियरिंग विभाग द्वारा चिन्हित कर उचित कार्यवाही हेतु तिथि सुनिश्चित होने पर बल सदस्यों को दानापुर मंडल द्वारा |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | उपलब्ध कराया जायेगा । |
| 4.7 | क्रू चेजिंग प्वाइंट पर क्रू के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था होनी चाहिए । | मुविइं, मुवाप्र, मुपरिप्र, मुयांई | क्रू चेजिंग प्वाइंट पर क्रू के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था है । टीटीई रेस्ट रूम की व्यवस्था सभी बड़े स्टेशनों पर उपलब्ध है । मंडल से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुख्यालय स्तर पर इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है । पूमरे को नये क्रू चेजिंग प्वाइंट पर रेस्ट रूम की व्यवस्था के लिए सभी मंडलों को निर्देश दिया गया है कि मरेप्र एल. एस ग्रांट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित करें । |
| 4.8 | पटना साहिब में आयोजित प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे को अपनी छवि सुधारने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए । | सभी विभागाध्यक्ष | इस संबंध में आवश्यक प्रयास किए जाएंगे । -विसमुलेधि पटना साहिब में आयोजित प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर रेसुब द्वारा सतत् सेवारत रहते हुए प्रकाश पर्व सकुशल सम्पन्न हुआ ।- मुसुआ प्रयास किया गया । -मुप्रअ/नि/उ मंडल तथा क्षेत्रीय रेल मुख्यालय द्वारा हर संभव प्रयास करके सफल बनाया गया है ।- मुविइं नोट किया गया । -मुसंधि पटना साहिब में आयोजित प्रकाश पर्व में पूमरे द्वारा त्रूटिरहित सेवा प्रदान कर रेलवे की छवि को सुन्दर बनाने में वाणिज्य विभाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । -मुवाप्र पटना साहिब में आयोजित प्रकाश पर्व को दानापुर मंडल द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है । -मुसिदूइं पटना साहिब में आयोजित प्रकाश पर्व समाप्त हो गया है इस हेतु भंडार विभाग द्वारा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की गई ।- भंडानिक नोट किया गया । - मुयांई पटना साहिब आयोजित प्रकाश पर्व सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ जिसे बिहार सरकार एवं आगंतुकों ने रेलवे की व्यवस्था से काफी सतुष्ट थे और रेल विभाग को काफी सराहा गया और बिहार सरकार द्वारा पुरस्कार भी दिया गया है । - प्रमुइं, |
| 4.9 | रेलवे परिसर को साफ-सुथरा बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रास कटिंग मशीन की व्यवस्था की जाए । | मुचिनि, प्रमुइं | सुनिश्चित किया जाता है । रेलवे परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए ग्रास कटिंग की व्यवस्था है । |
| 5.0 | श्री पी.आर. सिंह, महासचिव/इसीआरपीओए | | |
| 5.1 | कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने के साथ-साथ इनके लिए उपलब्ध कराई जाने वाली साजो समान भी सही समय पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए । | सभी विभागाध्यक्ष | कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने के साथ-साथ इनके लिए उपलब्ध कराई जाती है ।-विसमुलेधि अनुपालन हेतु नोट किया गया एवं सभी मंडलों को अनुपालनार्थ निर्देशित किया गया ।- मुसुआ नोट किया गया । -मुप्रअ/नि/उ साजो समान की पूर्ति की उपलब्धता में कमी होने पर पूरी की जाती है ।- मुविइं नोट किया गया । -मुसंधि इस सुझाव को नोट किया गया ।-मुवाप्र कर्मचारियों को मनोबल ऊंचा बनाए रखने के एवं संबंधित सामग्रियों की उपलब्धता सही समय पर हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है ।-मुसिदूइं |

| | | | |
|-----|--|------------------|---|
| | | | <p>कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रखने हेतु मंडल स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर पुरस्कार के अलावे सामूहिक नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साजो-समान सही समय पर उपलब्धता हेतु ध्यान रखा जाता है।—मुपरिप्र</p> <p>सुनिश्चित किया जाता है।— मुचिनि</p> <p>नोट किया गया तथा उपलब्धता समय पर किया जा रहा है।— भंडानिक कोंच एवं माल डिब्बों के बेहतर अनुरक्षण के लिए स्पेयर्स समानों की कमी नही हो। इसके लिए भंडार विभाग के साथ समन्वय बैठक कर अविलम्ब आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।— मुयांई</p> <p>कर्मचारियों को कार्य के अनुरूप नियमानुसार सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराया जाता है।—प्रमुइं</p> |
| 5.2 | सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति कर्मचारियों को जागरूक बनाए रखना चाहिए । | सभी विभागाध्यक्ष | <p>समय-समय पर सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति कर्मचारियों को जागरूक किया जाता है।—विसमुलेधि</p> <p>निरीक्षक प्रभारी द्वारा बल सदस्यों को डियूटी भुरु करने के पहले यात्री व यात्री सामानों की सुरक्षा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम, रेल सम्पत्ति की सुरक्षा व अन्य अपराधों के रोकथाम हेतु उचित निर्देश दिया जाता है।— मुसुआ</p> <p>नोट किया गया।—मुप्रअ/नि/उ</p> <p>सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति कर्मचारियों को जागरूक करने हेतु ट्रेनिंग,सेमिनार एवं संरक्षा संगोष्ठी समय-समय पर किया जाता है।— मुविइं</p> <p>इसके लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।—मुसंधि</p> <p>इस सुझाव को नोट किया गया।—मुवाप्र</p> <p>सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति कर्मचारियों को जागरूक बनाए रखने के लिए समय-समय पर सेमिनार किया जाता है।—मुसिदूइं</p> <p>नोट किया गया।— मुयांई</p> <p>सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति कर्मचारियों को जागरूक बनाए रखने के लिए नियमानुसार मंडल स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र में एक निश्चित अंतराल के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है, पर्यवेक्षक/अधिकारी ट्रॉली निरीक्षण के दौरान सुरक्षा एवं संरक्षा के पालन के लिए एवं विशेष अभियान समय-समय पर चला कर जागरूक किया जाता है।—प्रमुइं</p> |
| 5.3 | कोहरे के समय पेट्रोलिंग की स्थिति आने पर रेल पथ निरीक्षक के पास श्रम शक्ति की कमी हो जाती है । ऐसी स्थिति में पेट्रोलिंग में कर्मचारियों को लगाने के पश्चात अन्य कार्यों को स्थगित करना पड़ता है उस अवधि में अन्य कार्यों को रेल पथ निरीक्षक द्वारा ठेके पर करा लेना चाहिए ; इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । | प्रमुइं | इस संबंध में सभी संबंधित मंडल उचित कार्रवाई करते हैं। |
| 5.4 | क्रॉसिंग पर लगे स्लीपरों को बदलकर 65 से 75 पौंड का कर देना चाहिए । | प्रमुइं | क्रॉसिंग पर लगे स्लीपर आरडीएसओ डिजाइन के अनुसार लगा हुआ है और तत्काल इसे बदलना अपेक्षित नहीं है। |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 5.5 | ओवर लोडिंग को रोकने के लिए वे ब्रिज ठीक होने चाहिए इसके लिए सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए । मंडल स्तर पर एक कमिटी बनाई जानी चाहिए तथा टाइम बाउंड आधार पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए । | मुसिदूइ, मुवाप्र | इस मद को नोट किया गया । मंडल स्तर पर वाणिज्य, यातायात, वित्त एवं यांत्रिक विभाग की कमिटी वे-ब्रिज का संयुक्त निरीक्षण करती है । |
| 5.6 | गेटमैन द्वारा मात्र फ्लैट टायर तक की सूचना के साथ अन्य सभी तरह की सूचनाएं भी दी जानी चाहिए तथा कमी पाई जाने पर पिछले स्टेशन के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जानी चाहिए । | प्रमुइं, मुपरिप्र | इसके लिए कर्मचारियों को समय-समय पर काउंसलिंग किया जाता है । गेट मैन द्वारा किसी भी प्रकार की कमी मिलने पर तत्काल सूचना दी जाती है एवं आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित किया जाता है । |
| 5.7 | पेट्रोलमैन के उपकरणों की क्रॉस चेकिंग की जानी चाहिए तथा इसे अत्याधुनिक एवं हैंडी बनाया जाना चाहिए । | प्रमुइं, मुसंधि | पेट्रोलमैन के उपकरणों की क्रॉस चेकिंग पर्यवेक्षक एवं अधिकारियों द्वारा समय-समय ट्रॉली निरीक्षण के दौरान या औचक निरीक्षण के दौरान किया जाता है । नोट किया गया । |
| 5.8 | स्टेशन मास्टर को पेट्रोलमैन के ड्युटी पर आने की सुनिश्चितता होनी चाहिए । | मुपरिप्र | यह प्रक्रिया पहले से ही है । |
| 6.0 | श्री सुशील कुमार , अध्यक्ष, ईसीआर आरपीएफए | | |
| 6.1 | संरक्षा एवं सुरक्षा के प्रति कर्मचारियों को जागरूक बनाए रखना चाहिए । उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली उपस्कर एवं वर्दी अच्छी होनी चाहिए । | मुसुआ, मुसंधि, मुविइं मुपरिप्र, प्रमुइं, | सुरक्षा विभाग में बल सदस्यों को उपस्कर एवं वर्दी सामग्री अच्छी उपलब्ध कराई जाती है । इसके लिए लगातार निरीक्षण, संरक्षा ड्राईव (मंडल एवं जोनल) स्तर पर लगातार किया जा रहा है । नोट किया गया । नोट किया गया । संरक्षा एवं सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए कर्मचारियों के बिच समय-समय पर जागरूकता फैलाई जाती है । कार्य के अनुरूप नियमानुसार साधन उपलब्ध कराया जाता है एवं इंजी0 ड्रेस कोड के अनुरूप पोशाक की आपूर्ति की जाती है । |
| 6.2 | सामग्रियों की खरीद में ब्रांड पूरी तरह परिभाषित होनी चाहिए तथा सिमिलर शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए । | भंडानिक, विसमुलेधि | सामग्री की खरीद ब्रांडेड ही होती है किसी खास ब्रांड की खरीद तभी की जाती है जब वह मद पीएसी हों नोट किया गया । |
| 6.3 | छोटी-छोटी सामग्रियों का क्रय स्थानीय स्तर होनी चाहिए । | भंडानिक, विसमुलेधि | नोट किया गया । छोटी-छोटी सामग्रियों का क्रय स्थानीय स्तर की जाती है । |
| 6.4 | कोहरे में दृश्यता प्रभावित होने पर मानव रहित समपारों पर गाड़ियों की आने-जाने की सूचना से संबंधित डिवाइस लगायी जानी चाहिए तथा इनके अप्रोच रोड मानक के अनुसार होनी चाहिए ताकि आर-पार जाने वाली सड़क यातायात जल्दी पार कर जाय । | मुसंधि मुपरिप्र मुसिदूइं प्रमुइं | नोट किया गया । यह मामला रेलवे बोर्ड से संबंधित है । इस मद को नोट किया गया । सूचना से संबंधित डिवाइस लगाना इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है । मानक एवं निधि उपलब्धता के अनुसार समपार पर एप्रोच रोड बनाई जाती है । |
| 6.5 | रेलवे ट्रैक के पास घनी आबादी वाले क्षेत्र में इंजीनियरिंग एव रेल सुरक्षा बल अभियान चलाकर अनधिकृत रेलवे ट्रैक | मुसुआ | रेलवे ट्रैक के पास घनी आबादी वाले क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के आर पार के रास्तों की समाप्ति हेतु संबंधित विभाग से संबंध कर कार्यवाई हेतु निर्देशित किया गया है । |

| | | | |
|-----|--|------------------|--|
| | के आर-पार के रास्तों को समाप्त कर अपने-अपने क्षेत्र में 'कोई अनधिकृत रास्ता नहीं' का प्रमाण पत्र सौंपना सुनिश्चित करना चाहिए।। | प्रमुइं | Works manual में अनाधिकृत कब्जा हटाने के जिम्मेवारी दी गई है। जिसके अनुसार से संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। केवल इंजीनियरिंग एवं आरपीएफ नहीं बल्कि परिचालन, वाणिज्य, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल विभाग का भी है। संबंधित विभाग से रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक सहयोग इंजीनियरिंग एवं आरपीएफ देती है। |
| 6.6 | इस फोरम पर दिये गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। | सभी विभागाध्यक्ष | इस फोरम पर दिये गए आश्वासनों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।-विसमुलेधि सभी मंडलों को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है।-मुसुआ सुक्षाव तथा इसकी आपूर्ति हेतु प्रयास किये जाएंगे।- मुविइं नोट किया गया। -मुसंधि आश्वासनों पर कार्यवाई की जाती है।-मुवाप्र इस फोरम पर दिये गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।-मुसिदूइं कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।-मुपरिप्र नोट किया गया। -भंडानिक फोरम में दिये गये आ वासनों पर समुचित कार्रवाई के लिए मुख्यालय में आयोजित प्रमंयाइं/मंयाइं के साथ की जाने वाली बैठक में समुचित कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दी जाती है। समय-समय पर मंडल में मुख्यालय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय इस पर चर्चा की जाती है।- मुयांइं फोरम द्वारा उठाये गये मुदों पर यथासंभव नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। -प्रमुइं |
| 7.0 | श्री रमेश सिंह, महासचिव, ईसीआर आरपीएफए | | |
| 7.1 | इस फोरम से पिछले 03 बैठकों फोरम उठाये गये मुदों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसे सुनिश्चित किया जाय। | सभी विभागाध्यक्ष | अनुपालन हेतु नोट किया गया एवं सभी मंडलों को निर्देशित किया गया।- मुसुआ पिछले तीन फोरम में उठाए गए मुदों इस विभाग द्वारा टिप्पणी की गयी है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।-विसमुलेधि सुक्षाव को नोटकिया। -मुप्रअ/नि/उ नोट किया गया। - मुविइं वाणिज्य विभाग द्वारा सभी मुदों पर कार्यवाई की जाती रही है।-मुवाप्र संकेत एवं दूरसंचार विभाग से संबंधित मुदों पर आवश्यक कार्यवाई की जाती है।-मुसिदूइं कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।-मुपरिप्र नोट किया गया। -भंडानिक इस संबंध में मंडल अधिकारियों के साथ चर्चाकर उचित कार्यवाई की जानकारी सुनिश्चित की जायेगी।- मुयांइं फोरम द्वारा उठाये गये मुदों पर यथासंभव नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।-प्रमुइं |
| 7.2 | केंद्रीय विद्यालय धनबाद के भवन को रेल सुरक्षा बल को सौंपा जाय। | प्रमुइं | केंद्रीय विद्यालय भवन धनबाद में सिविल इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण केंद्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अतः इसे रेल सुरक्षा बल को सौंपा नहीं जा सकता। |
| 7.3 | गया, मुगलसराय, धनबाद सहित सभी इंटरचेंजिंग प्वाइंट के बैरकों में समुचित | मुसुआ | गया, मुगलसराय, धनबाद आदि के इंटरचेंजिंग प्लाइट के बैरकों में संबंधित मंडल द्वारा समुचित व्यवस्था की जा रही |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय। | | है। |
| 7.4 | रेल सुरक्षा बल को मुख्य सुरक्षा आयुक्त के साथ पीएनएम सुनिश्चित किया जाय। | मुसुआ | रेल सुरक्षा बल को मुसुआ महोदय के साथ पीएनएम की प्रकिया की जा रही है। |
| 7.5 | कोहरे के मौसम के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वर्दियां अविलंब उपलब्ध कराई जाय। | मुपरिप्र, मुविइं, मुसिदूइं भंडानिक मुयांई, प्रमुइं, | यह परिचालन विभाग से सीधे संबंधित नहीं है। इस प्रकार की वर्दी (चमकदार पट्टी लगी हुई) इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। नोट किया गया। कोहरे में मौसम के लिए वर्दियां की उपलब्ध की व्यवस्था के लिए कार्रवाई की गई है। कोहरे के मौसम के लिए वर्दी का क्रय आदेश जारी किया गया है जिसकी सुपुर्दगी परिदान अवधि के अनुसार हो रहा है। सामग्री उपलब्धता के अनुसार निर्गत किया जाता है। कर्मचारियों को ग्रीष्म कालिन एवं भीतकालिन वर्दी की आपूर्ति के लिए भंडार विभाग को मांग पत्र पेशी किया जाता है। आपूर्ति होते ही संबंधित कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाती है। कोहरे के मौसम में कर्मचारियों को वर्दियां समय-समय पर दिया जाता है। |
| 8.0 | श्री महेन्द्र कुमार, अध्यक्ष/एससी एण्ड एसटी एशोशिएसन | | |
| 8.1 | सभी कर्मचारियों का यह दायित्व है कि ट्रैक के अवरोध को अविलंब हटाना सुनिश्चित करें ताकि निर्वाध परिचालन हो सके। इस संबंध में प्रशासन, कर्मचारियों को जागरूक बनाए रखने के लिए आवश्यक काउंसिलिंग लगातार करना सुनिश्चित करे। | सभी विभागाध्यक्ष | नोट किया गया।—विसमुलेधि ट्रैक के अवरोध को यथा गीघ्र हटाने हेतु सभी मंडलों को संबंधित विभाग से समन्वय करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि परिचालन रुके नहीं।— मुसुआ सुक्षाव को नोटकिया।—मुप्रअ/नि/उ नोट किया गया।— मुविइं इस विषय पर कर्मचारियों को जागरूक रखने के लिए अधिकारी एवं निरीक्षक स्तर पर काउंसिलिंग किया जाता है।—मुवाप्र पूर्व मध्य रेल में निर्वाध परिचालन के लिए ट्रैक के अवरोध को हटाने हेतु प्रशासनिक स्तर पर कर्मचारियों को जागरूक बनाए रखने के लिए समय-समय पर काउंसिलिंग किया जाता है।—मुसिदूइं इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पालन किया जाता है।—प्रमुइं |
| 8.2 | पेट्रोलिंग के लिए कम से कम 02 कर्मचारियों को लगाया जाए। | प्रमुइं | पेट्रोलमैन का कोई पद इंजी0 विभाग में स्वीकृत नहीं है। इस कार्य को ट्रैकमैन को प्रतिनियुक्त कर कराया जाता है। जो निर्धारित मानदंड एलडब्ल्यूआर मैनुअल के अनुसार किया जाता है। |
| 8.3 | कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री मानक के अनुसार होना चाहिए। | सभी विभागाध्यक्ष | नोट किया गया एवं सभी मंडलों को निर्देशित किया गया।— मुसुआ कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री मानक के अनुरूप होती है।—विसमुलेधि नोट किया गया।—मुप्रअ/नि/उ मानक के अनुसार ही दिया जाता है।— मुविइं नोट किया गया।—मुसंधि कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जानेवाली सामग्री मानक के अनुसार ही दी जाती है।—मुवाप्र |

| | | | |
|-----|---|--------------------------------|--|
| | | | कर्मचारियों को उपलब्ध कराने वाली सामग्री मानक के अनुरूप होती है।-मुसिदूइं नोट किया गया एवं अनुपालन किया जा रहा है।-भंडानिक कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री भंडार विभाग द्वारा क्रय के क्रम में मानकों पर ध्यान दिया जाता है।- मुयांई कर्मचारियों को कार्य के अनुरूप नियमानुसार सभी आवश्यक सामग्री मानक के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। -प्रमुइं |
| 8.4 | यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी शॉर्टकट विधि न अपनाए । | सभी विभागाध्यक्ष | नोट किया गया।-विसमुलेधि सभी मंडलों को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है ।- मुसुआ नोट किया गया। -मुप्रअ/नि/उ कर्मचारी शॉर्टकट विधि न अपनाए यह सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर निरीक्षकों एवं अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है।- मुविइं निरीक्षण के दौरान इस विषय पर ध्यान दिया जाता है और कर्मचारियों को समुचित निर्देश भी दिए जाते हैं।-मुवाप्र कर्मचारियों को शॉर्टकट विधि न अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जाता है।-मुसिदूइं इसे सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर संरक्षा ड्राइव चलाया जाता है ।-मुपरिप नोट किया गया। -भंडानिक कर्मचारी शॉर्टकट विधि न अपनायें इसके लिए प्रयत्नक स्तर पर एवं अधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है एवं समय-समय पर कर्मचारियों को इस पद्धति से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए काउंसिलिंग की जाती है।- मुयांई इस पर ध्यान रखा जाता है कि कोई कर्मचारी शॉर्टकट विधि न अपनाए जिसके लिए सभी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है।-प्रमुइं |
| 9.0 | श्री आर.एन.पासवान, महासचिव/एससी एण्ड एसटी एशो0 | | |
| 9.1 | ट्रैकमैन के कल्याण संबंधी मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । | प्रमुइं, मुकाधि | ट्रैकमैन के कल्याण संबंधी मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसे नोट किया जाता है । |
| 9.2 | ट्रैकमैन के उपस्कर मानक के अनुसार होना चाहिए । | प्रमुइं, भंडानिक | ट्रैकमैन को कार्य के अनुरूप नियमानुसार उपस्कर उपलब्ध कराया जाता है। नोट किया गया एवं अनुपालन किया जा रहा है। |
| 9.3 | रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वॉकी-टॉकी मानक के अनुसार कार्यरत होना सुनिश्चित होना चाहिए । | मुसिदूइं | वॉकी-टॉकी मानक के अनुसार कार्य करती है। |
| 9.4 | गाड़ियों का परिचालन योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए । | मुपरिप्र | गाड़ियों का परिचालन योजनाबद्ध तरीके से तत्कालिक परिस्थिति के अनुरूप किया जाता है । |
| 9.5 | फॉग सिगनल समुचित रूप से लगाया जाना चाहिए । | मुपरिप्र, मुसंधि, मुयांई | GR and SR के अनुसार इसका अनुपालन सुनिश्चित है । फॉग सिगनल समुचित रूप से लगाया जा रहा है। रनिंग कर्मचारियों द्वारा जाड़े के दिनों में इस पर समुचित ध्यान दिया जाता है। |
| 9.6 | एससी एण्ड एसटी एसोसिएसन के लिए सभी मंडलों में प्रेम के कार्यालय के | सभी मरेप्र, सभी | नोट कर लिया गया है।- मुगलसराय मंडल मरेप्र कार्यालय परिसर के दक्षिण-पश्चिम छोर में प्रेम |

| | | | |
|------|--|---------------------|--|
| | लिए स्थान उपलब्ध करना सुनिश्चित करें । | वरि0मकाधि | कार्यालय उपलब्ध कराया गया है।- सोनपुर मंडल रेल परिसर में मरेप्र कार्यालय के समीप पूर्व में आवंटित होमियोपैथिक डिसपेन्सरी क्वाटर को एससी एण्ड एसटी एसोसिएसन के प्रेम कार्यालय के लिए प्रदान किया गया है। - दानापुर मंडल एससी एण्ड एसटी एसोसिएसन के प्रेम कार्यालय उपलब्ध है।-समस्तीपुर मंडल प्रक्रियाधीन है।-धनबाद मंडल |
| 10.0 | श्री शैलेन्द्र कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष, ओबीसी एशोसिएसन। | | |
| 10.1 | पेट्रोलमैन की बीट छोटी की जाय ताकि रेल फ्रेक्चर को डिटेक्ट करने में आसानी हो सके। | प्रमुइं | पेट्रोलमैन की बीट निर्धारित एलडब्ल्यूआर मैनुअल के मानदंड के अनुरूप होता है और कोई बदलाव अपेक्षित नहीं लगता है। |
| 10.2 | दो पेट्रोलमैन की जोड़ी बनाकर 02 कि0मी0 की बीट निर्धारित की जानी चाहिए । | प्रमुइं | पेट्रोलमैन की ड्यूटी निर्धारित एलडब्ल्यूआर मैनुअल के मानदंड के अनुरूप होता है। |
| 10.3 | कोहरे के मौसम में पेट्रोलमैन को उपलब्ध कराई जानी वाली टूल्स काफी ठण्डा हो जाता है इससे पेट्रोलमैन की दक्षता में कमी आती है अतः इनके टूल्स इस प्रकार बनाए जाए कि ये थोड़ा कम ठण्डा हो सके। | प्रमुइं, भंडानिक | पेट्रोलमैन को मानक के अनुसार टूल्स उपलब्ध कराया जाता है। नोट किया गया। |
| 10.4 | कोहरे के मौसम में पेट्रोलिंग की शुरुआत होते ही कर्मचारियों की कमी हो जाती है परिणामतः तनाव बढ़ जाता है रन ओवर की घटनाएं भी बढ़ जाती है अतः कर्मचारियों की संख्या इस तरह उपलब्ध कराई जाए ताकि उनका निर्धारित रेस्ट सुनिश्चित हो सके । | प्रमुइं | कोहरे के मौसम में पेट्रोलिंग के दौरान काफी सजग एवं जागरूक रहने की जरूरत है जिसके लिए सभी स्तर पर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। साथ ही इंजीनियरिंग विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि विभाग में आवश्यक कर्मचारियों की संख्या में कमी न आये और इसका लिए समय-समय पर कार्मिक के साथ बैठक भी की जाती है। |
| 10.5 | नाइट फुट प्लेट के कर्मचारियों के लिए यथास्थान विश्रामालय की व्यवस्था की जाए। | प्रमुइं | नाइट फुट प्लेट के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक रेस्तरूम उपलब्ध है और सभी जगह पर बनाना एवं रख रखाव करना संभव नहीं है। |
| 10.6 | संरक्षा श्रेणी के रिक्त पदों को अविलंब भरा जाय । | मुकाधि | 1) 01 नवंबर 2016 से दिनांक 15.02.2016 तक संरक्षा कोटि पदों हेतु कुल 1521 नामिकाएं (SIM,ALP,WTM, Goods Guard,ASM) सभी मंडलों को उपलब्ध कराई गई है। 2) संरक्षा कोटि अंतर्गत संरक्षा संवर्ग की रिक्तियों को भरने हेतु महाप्रबंधक महोदय के अ० शा० पत्र सं० ECR/HRD/MPP/Action /Pt.1 दिनांक 19.01.2017 के द्वारा रेलवे बोर्ड से निम्न बिन्दुओं पर अनुरोध किया गया है : I.अन्य RRB's से ASM&Goods Guard की नामिकाएं पूर्व मध्य रेल को उपलब्ध कराई जाय। II. ग्रेड पे रू०1800 हेतु प्राप्त मॉगपत्र पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की अनुमति पूर्व मध्य रेल को दी जाय। 3) रेलवे बोर्ड के द्वारा RRB/BSP से 27 सहायक स्टेशन मास्टर के नामिका को पूर्व मध्य रेल में Divert करने का आदेश प्राप्त हुआ है,जिसके आलोक में RRB/BSP को मॉगपत्र भेजा रहा है एवं अतिशीघ्र पैनल मिलने की |

| | | | |
|------|--|--|---|
| | | | संभावना है। 3) इसके अतिरिक्त पूर्व मध्य रेल के शीर्ष पर संरक्षा कोटि पदों यथा सलोपा, सस्टेमा, एवं गुड्स गार्ड के कुल 2930 पदों हेतु मॉगपत्र रेलवे भर्ती बोर्ड/पटना/मुज०/राँची में लंबित है। |
| 11.0 | श्री पी. के. सिंह महासचिव ओबीसी एसोसिएसन | | |
| 11.1 | अलीपुरद्वार एवं इलाहाबाद मंडल में हुई रेल दुर्घटनाओं का कारण मानवीय भूल रहा है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए और मानवीय बल को मानसिक रूप से और मजबूत बनाए जाने के उपाय किये जाने चाहिए। | सभी विभागाध्यक्ष | नोट किया गया।—विसमुलेधि सुक्षाव को नोटकिया।—मुप्रअ/नि/उ नोट किया गया।—मुविइं नोट किया गया।—मुसंधि अलीपुरद्वार एवं इलाहाबाद मंडल में मानवीय भूल के कारण हुई रेल दुर्घटना से सीख लेते हुए सभी मंडलों द्वारा कर्मचारियों बल को समय-समय पर मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के उपाय किये जाते हैं। साथ ही कर्मचारियों को जागरूक बनाये रखने के लिए समय-समय पर काउंसिलिंग की जाती है।—मुसिदूइं इससे संबंधित संरक्षा झाइव चलाया जा रहा है। मंडल एवं मुख्यालय स्तर के पर्यवेक्षक एवं अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की काउंसिलिंग लगातार की जा रही है।—मुपरिप्र नोट किया गया।—भंडानिक प्रत्येक दुर्घटनाओं के कारणों की जांच को देखते हुए वर्तमान कार्य प्रणाली के दौरान यह ध्यान दिया जाता है की इस तरह की पुनर्वृत्ति न हो इसके लिए समय-समय पर पर्यवेक्षक स्तर पर कर्मचारियों को काउंसिलिंग किया जाता है साथ ही साथ प्रशिक्षण केन्द्रों पर कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाती है।—मुयांई रेल दुर्घटना मानवीय भूल के कारण न हो इसके लिए समुचित कदम रेलवे उठा रही है जैसे कि अच्छा प्रशिक्षण केन्द्र, ट्रॉली निरीक्षण के दौरान जागरूक बनाकर इत्यादि। —प्रमुइं |
| 11.2 | कोहरे के मौसम में उचित पेट्रोलिंग की जानी चाहिए तथा इससे जुड़े लोगों की संरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा इनको उपलब्ध कराई जाने वाली टुल्स एवं वर्दी मानक के अनुसार होना चाहिए। | भंडानिक, मुसंधि, प्रमुइं, | टूल्स एवं वर्दी मानक के अनुसार ही आपूर्ति की जाती है। नोट किया गया। कोहरे के मौसम में समुचित पेट्रोलिंग कराया जाता है तथा टुल्स एवं वर्दी मानक के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है ताकि रेलवे संरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। |
| 11.3 | कोहरे के मौसम में पटाखों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। | मुपरिप्र, भंडानिक प्रमुइं, | पटाखों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कुहासे के समय से पूर्व ही मंडल को पत्र जारी कर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाती है। कोहरे के मौसम में पटाखे की आपूर्ति नियमित रूप से की जाती है। कोहरे के मौसम में पटाखों की नियमित आपूर्ति हो रही है। |
| 11.4 | मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियों में समुचित फुट प्लेटिंग की जानी चाहिए। | मुपरिप्र, मुसंधि | मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का फुट-प्लेटिंग सभी दिशा-निर्देश सभी मंडलों को दिए जा चुके हैं। इसकी पुनरावृत्ति संबंधी आदेश भी समय-समय पर दिए जाते हैं। रात्रि एवं दिन में लगातार फुट प्लेट निरीक्षण की जा रही है। मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियों में समय-समय पर |

| | | | |
|------|---|---|---|
| | | मुसिदूइं मुविइं, मुयाईं, प्रमुइं | समुचित फुट प्लेटिंग की जाती है। अधिकारियों एवं पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित फुट प्लेटिंग कर परिचालन से संबंधित कमियों को उजागर कर वरीयता पर दूर किया जाता है। पर्यवेक्षक स्तर पर तथा मंडल एवं मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा फुट प्लेटिंग की जाती है। फुट प्लेटिंग के क्रम में पाये जाने वाली शिकायतों को निरीक्षण रपट में दर्शाते हुए अविलंब कार्यवाई हेतु संबंधित विभाग को रपट भेजी जाती है। मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियों में समुचित फुट प्लेटिंग नियमानुसार किया जा रहा है। |
| 11.5 | शंटिंग के दौरान शंटर के साथ ट्रैफिक का कर्मचारी भी होना सुनिश्चित किया जाय । | मुपरिप्र | ट्राफिक कर्मचारियों के द्वारा ही शंटिंग कार्य सुनिश्चित कराया जाता है । |
| 11.6 | गाड़ियों के परिचालन के उद्देश्य से लगाई जाने वाली साइडिंग बोर्डों पर रेडियम स्टीकर लगाई जानी चाहिए। | प्रमुइं | रेलवे लाइन के किनारे लगे इंजी0 बोर्डों पर retroreflective sheet/strip लगाया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है। |
| 11.7 | कोशी एवं राज्यरानी एक्सप्रेस का बरौनी स्टेशन पर ठहराव दिया जाय । | मुपरिप्र, मुवाप्र | कोशी एवं राज्यरानी एक्सप्रेस का ठहराव बरौनी बाईपास स्टेशन देने के लिए वाणिज्य विभाग से इस कार्यालय के पत्रांक ईसीआर/ओपीटी/टीटी/एमपी/एसईई/510/04 दिनांक 30.08.16 द्वारा वाणिज्यिक आंकड़ा की मांग की गई है। इसके प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा । सोनपुर मंडल के पत्रांक सी/442/ठहराव / 16, दि.11.08.2016 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक पूमरे/सीआरएम/ठहराव/ सोनपुर /005/14/भाग-IV, दिनांक 12.08.2016 एवं 23.09.2016 के द्वारा राज्यरानी एक्स0 एवं कोशी एक्स0 के बरौनी बाईपास में ठहराव हेतु प्रस्ताव मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर को अग्रतर कार्यवाई हेतु भेज दिया गया है। |
| 11.8 | गाड़ी संख्या 63283/63284 पटना-बरौनी कम्प्युटर ट्रेन को निर्धारित समयानुसार परिचालित की जाय ताकि कर्मचारी समय पर अपन कार्यालय पहुंच सकें । | मुपरिप्र | गाड़ी सं0 63283/63284 का परिचालन नियंत्रण सोनपुर एवं दानापुर मंडल के अंतर्गत आता है। जिसमें सोनपुर डिवीजन की भूमिका अहम् है। उक्त गाड़ी के समय पालन हेतु सोनपुर डिवीजन को समय-समय पर उपयुक्त दिशा-निर्देश दिया जाता है। |

Duty at stretch of running staff (10 hours rule)

- Railway Board's letter no. E(LL)/91/HER_II, dt. 03.04.1992. In supersession of all earlier instructions, it was decided to amend subsidiary instructions no. 17 (iii) as under:
- (i) The overall duty at a stretch of running staff from 'signing on' should not ordinarily exceed 12 hours and crew should be entitled to claim relief thereafter.
- (ii) The running duty at a stretch should not ordinarily exceed 10 hours from departure of train and staff should be entitled to claim relief thereafter.
- (iii) In operational exigencies, the running duty may be extended beyond 10 hours within overall limit of 12 hours provided a due notice has been given to the staff by the controller before the completion of 8 hours of running duty.
- (iv) If a train does not reach, within the overall limit 12 hours, its normal crew changing point/destination etc. and such point is approximately one hour journey away, the staff shall be required to work up to that point.
- (v) In exceptional exigencies of accidents/agitations/ equipment failures, the staff may be required to work beyond prescribed limits, in such cases the controller should suitably instruct the staff.
- (vi) In order that the running staff are aware of their beat, at every crew HQs/Stations, the normal beat of the running staff of M/E/Pass/Goods trains should be prominently displayed on the notice Board.
